प्रस्तुती दिनांक 21/02/2017

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, केम्प इन्दौर के समक्ष

R 437-PBR/17

93

कंवरलाल पिता शोभाराम लोधा,
निवासी –ग्राम खाकेड़ी तह. सरदारपुर
जिला धार म.प्र. .... प्रार्थी

श्री वी.के. गुप्ता अभिभाषक द्वारा केम्प इन्दौर पर प्रस्तुत

विरूद्ध

1. **धूलजी पिता रणछोड़ लोधा**
   निवासी – ग्राम खाकेड़ी तह. सरदारपुर
   जिला धार म.प्र.
2. **हीराबाई पति शोभाराम लोधा,**
   निवासी – ग्राम खाकेड़ी तह. सरदारपुर
   जिला धार म.प्र.
3. **रामचंद्र पिता शोभाराम मृतक**
   तर्फे वारिसगण
   अ. भंवरलाल पिता रामचंद्र लोधा,
   ब. समंदरलाल पिता रामचंद्र लोधा
   स. संग्रामसिंह पिता रामचंद्र लोधा
   सभी निवासी – ग्राम खाकेड़ी तह. सरदारपुर
   जिला धार म.प्र. ......प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

इसमें प्रार्थी श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा निगरानी प्र.क. 45/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2004 से व्यथित व असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है।

अविरत.......

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **निगरानी 737–पीबीआर/17** [कन्हैया / धन्नाजी] **जिला धार**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–3–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28–7–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21–2–2017 को लगभग 13 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण आवेदक के अभिभाषक द्वारा उन्हें सूचना नहीं देना बताया जा रहा है जो कि विश्वसनीय नहीं है। अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया समय बाह्य होने के कारण अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	